न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 29/2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1बिरमाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट 2कुशालराम पुत्र बीरमाराम जाति जाट 3बद्रीराम पुत्र बीरमाराम जाति जाट निवासीगण कंकडाय तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1तहसीलदार मुण्डवा। 2उगराराम पुत्र कुनाराम जाति जाट 3बलदेवराम पुत्र मुगनाराम जाति जाट 4हरीराम पुत्र शिवकरणराम जाति जाट 5गुमानराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासीगण कंकडाय तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.03.2021

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 01/2020 अनवान बलदेवराम व अन्य बनाम बिरमाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2020 एवं निर्णय की पालना मे जारी तहरीर आदेश क्रमांक / राजस्व / 11 / 20 /83 दिनांक 16.07.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 06.08.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के आदेश दिनांक 16.07.2020 की फोटोप्रति तथा नक्शा किस्तवार मौजा कंकडाय की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2020 अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत व बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 391 मे कभी किसी के आने जाने का रास्ता नही रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का भी कोइ रास्ता खसरा सं. 391 मे से कभी नही रहा है। न आज दिन रास्ता है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 खसरा सं. 391 मे नया रास्ता बनाना चाहते है और इसी प्रयोजनार्थ झूठी शिकायत तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष पेश तहसीलदार मुण्डवा को अपने प्रभाव मे कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है।

{2}(III)–पटवारी ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के साथ मिलीभगत कर अपने घर पर बैठकर झूठी व गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की। तहसीलदार कभी भी मौके पर नही आया और न ही अपीलांट्स की मौजूदगी मे मौका देखा गया न अपीलांटस की मौजूदगी मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट के साथ फोटो लगायी है व अपीलांट के खेत की नही है। यदि पटवारी मौके पर आकर मौका रिपोर्ट तैयार करता तो मौके पर आने से पहले अपीलांटस को मौका देखे जाने का नोटिस दिया जाता। मगर इस प्रकरण मे ऐसा नही हुआ जिससे साबित है कि मौका रिपोर्ट फर्जी, बनावटी व पूर्णतया झूठी है। एकपक्षीय तैयार की गई रिपोर्ट को किसी सूरत मे अपीलांटस के विरूद्व नही पढा जा सकता है। इन सब तथ्यो की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट गुमानाराम का कोई खेत खसरा सं. 391 के आस पास नही है। रेस्पोडेन्ट बलदेवराम का खेत खसरा सं. 387 है। जो संखवास से आसोप चलने वाली डामर सडक से चिपता आया हुआ है और वह इसी सडक से अपने खेत मे घुसता है। रेस्पोडेन्ट हरीराम के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 384 है जो इसी संखवास आसोप सडक पर चिपता खसरा सं. 374 से चिपता आया हुआ है। हरीराम इस सडक से खसरा सं. 374 मे से होकर अपने खेत खसरा सं. 384 मे आता जाता रहा है। उगराराम का खेत खसरा सं. 375 है और यह भी संखवास आसोप चलने वाली सडक से फंटकर खसरा सं. 374 मे से होकर अपने खेत खसरा सं. 375 मे घुसता है। इन तीनो के बढेरे भी इसी उपरोक्त बताये अनुसार अपने खेतो मे आते जाते रहे है और आज भी आते जाते है। इन तीनो के सबसे नजदीकी रास्ता भी यही है। अपीलांटस का खेत खसरा सं. 391 इन तीनो के खेतो से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे साबित है कि रेस्पोडेन्टस झूठे है और खसरा सं. 391 मे नया रास्ता कायम कराना चाहते है।

{2}(V)–खसरा सं. 391 रकबा 15 बीघा भूमि अपीलांटस के खातेदारी कब्जे की भूमि है जो वर्तमान मे अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज है। इस खेत मे जानवर और मवेशी घुसकर नुकसान नही पहुॅचाये इसलिये लगभग बीस वर्ष पहले इस खेत के चारो ओर चारदीवारी खिचायी गयी थी। तभी से चारदीवारी के दरवाजे लगाये हुए है। कोई नया दरवाजा अपीलांट ने नही लगाये है।

{2}(VI)–यदि रास्ता कदीमी होता तो राजस्व नक्शे व रेकर्ड मे यह कटाणी रास्ते के रूप मे अवश्य दर्ज होता मगर ऐसा नही है। जिससे भी साबित है कि रेस्पोडेन्टस द्वारा बताया गया वैसा कोई रास्ता मौके पर नही है।

{2}(VII)–कदीमी रास्ता के बाबत जो भी अधिकार जुडे है। वे सुखाधिकार से संबंधित होते है। सुखाधिकार के अन्तर्गत रास्ता चाहने वालो के लिये धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होते है। धारा 251 रा.टि. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 45 दिनो तक ग्राम पंचायत के पास होता है। यदि 45 दिन मे ग्राम पंचायत निर्णय पारित नही करती तो फिर तहसीलदार को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, उससे पहले तहसीलदार को ऐसे मामले की सुनवाई का अधिकार नही है। तहसीलदार का कानूनी व नैतिक दायित्व था कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का आवेदन प्राप्त होने पर इसे सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को भिजवाते। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–रेस्पोडेन्ट्स ने अपने आवेदन के समर्थन मे किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की। न तो मौखिक साक्ष्य पेश की और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का आवेदन खारिज किया जाना चाहिये था। पटवारी भी गवाह के रूप मे प्रस्तुत नही हुआ न मौका रिपोर्ट को प्रदर्श कराया गया। स्वयं रेस्पोडेन्टस के व पटवारी के समक्ष मे उपस्थित नही हो पाने के कारण अपीलांटस को इन लोगो से प्रतिपरीक्षण करने कोई अवसर नही मिल सका। अन्यथा जिरह से ये सब झूठे साबित हो जाते, इस प्रकार खारिज किये जाने वाले आवेदन को स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(IX)–अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया। न ही सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(X)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत जवाब और उसके साथ संलग्नक दस्तावेजात राजस्व नक्शे वगैरा किसी का अवलोकन तक नही किया। न मनन व विचार किया। अपीलांटस के जवाब को क्यो नही माना जाये इसका भी कारण अपीलाधीन आदेश मे नही बताया है। साफ जाहिर है कि तहसीलदार मुण्डवा ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 को नाजायज फायदा पहुॅचाने की गरज से आदेश पारित किया है।

{2}(XI)–अपीलाधीन आदेश अवैध, अनियमित, अन्यायोचित व दुराग्रहो से ग्रसित होने के कारण भी अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि मौजा कंकडाय मे खसरा नं. 991 से होते हुए 358/1 तक पुश्तेनी बढेर से रास्ता चलता आया है। जिसे अपीलांट व उसके पुत्रो द्वारा रोके जाने पर रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 के तहत आदेश जैर अपील पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 22.07.2020 की पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार कदीमी रास्ता मौके पर चालू तथा खुला पाया गया है तथा खसरा नं. 391 के खातेदार बीरमाराम व उसके पुत्रो द्वारा दो लोहे की फाटके जो पूर्व मे लगायी हुई थी। मौके पर हटायी हुयी पायी गयी है। इस प्रकार सुखाधिकार का रास्ता मौके पर खुलवाया भी जा चुका है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि धारा 251 आरटीए के तहत तहसीलदार को कदीमी सुखाधिकार के रास्ते खुलवाये जाने के अधिकार है तथा दोनो पक्षो को सुनकर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

{5}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार मुण्डवा द्वारा ग्राम कंकडाय मे स्थित खसरा नं. 391 से शुरू होकर अंतिम खसरा नं. 358/1 (दियावडी सडक तक) के खातेदारो द्वारा रास्ते मे अवरोध किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण सं. 1/2020 बलदेव राम बनाम बिरमाराम दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्टस को विधिवत नोटिस देकर बाद सुनवाई आदेश जैर अपील पारित किया है। पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2020 के अनुसार कदीमी रास्ता होना पाया गया है। जहां खसरा नं. 374 मे सज्जन कुमार द्वारा एक टोली पत्थर डालकर एवं खसरा नं. 391 के खातेदार द्वारा रास्ते के आवागमन मे बाधा उत्पन्न करने की आशंका होने से उसे कदीमी रास्ते को बंद नही करने हेतु पाबंद भी किया गया तथा आदेश जैर अपील के उपरांत मौके पर रास्ता दिनांक 22.07.2020 को चालू तथा खुला पाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत कदीमी सुखाचार के रास्ते पर किये गये अवरोध को हटाये जाने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित होना प्रतीत होता है।

{6}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर